न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.

पत्रावली संख्या : 105/24 (विविध प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नम्बर : 2024/419

1. प्रेमशंकर पिता जगन्नाथ जी डांगी जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी कलडवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज०)

...........वादी/विपक्षी

बनाम

1. चेनराम पिता स्व. मेघा जी डांगी जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी नऊवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. लालुराम पिता स्व. मेघा जी डांगी जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी नऊवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. धनराज पिता स्व. मेघा जी डांगी जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी नऊवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. श्रीमती तुलसीबाई पत्नी स्व. मेघा जी डांगी जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी नऊवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. सुन्दरलाल पिता लालुराम जी डांगी जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी नऊवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. श्रीमती मीराबाई पत्नी लालुराम जी डांगी जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी नऊवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब मावली, जिला उदयपुर (राज०)

..............प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण

उपस्थित :– 1. श्री अनिल कुमार त्रिपाठी, अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

2. श्री हार्दिक चेचानी, अधिवक्ता विपक्षी/वादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी

आदेश

दिनांक : 27.03.2026

1 प्रार्थीगण द्वारा विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी पेश कर निवेदन किया कि उक्त अनवान का वाद न्यायालय में वादी ने प्रस्तुत किया था जिसमें न्यायालय द्वारा एक पक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 22–09–2022 को पारित हो चुकी है। प्रकरण में न्यायालय द्वारा हम प्रतिवादीगण को समन जारी कर तलब किया गया था किन्तु न्यायालय द्वारा जारी समन हम प्रतिवादीगण को प्राप्त नही हूए और न ही इसकी हमें कोई

सूचना ही मिली है, न ही हम प्रतिवादीगण पर समन की तामील हुई है फिर भी आप न्यायालय द्वारा हम प्रतिवादीगण के विरूद्ध उक्त प्रकरण में दिनांक 16–09–2022 को एकतरफा कार्यवाही का आदेश दिया गया। प्रकरण में हम प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही होने के पश्चात् न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 22–09–2022 को एक तरफा निर्णय पारित कर डिक्री जारी कर दी गई। उक्त तथ्य की जानकारी हम प्रतिवादीगण को कुछ दिन पूर्व हुई जब वादी ने हम से कहा कि तुम इस जमीन से अपना कब्जा हटा लेना वरना मैं तुमको जबरदस्ती हटा दूंगा। हमने वादी को ऐसा करने से मना किया तो उसने कहा कि इस जमीन का उसने हमारे खिलाफ स्थगन का मुकदमा न्यायालय सहायक कलक्टर मावली में किया था जो मुकदमा वो जीत चुका है इसलिये वो अब हमें हमारी जमीन से हटाकर ही दम लेगा। इस पर हम तुरन्त मावली आये और यहां आकर अपनी और से अधिवक्ता नियुक्त कर उक्त इस प्रकरण के मामले में जानकारी कराकर इसकी प्रमाणित प्रति हेतु दिनांक 30.09.2024 को न्यायालय में आवेदन करवाया जिस पर दिनांक 01.10.2024 को उक्त पत्रावली की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई जिसे देखने पर उक्त मामले में इस प्रकार के तथ्यों की जानकारी हुई है। इससे पूर्व हमें इन तथ्यों की किसी प्रकार से कोई जानकारी नही थी।

2 यह कि उक्त प्रकरण में वादी ने तामील कुनिन्दा के साथ मिलिभगत करके फर्जी तरीके से हमारे नाम से जारी सम्मन पर समान रूप से लेने से इन्कार कर दिया एक परत नोटिस मकान पर चस्पा किया है की टिप्पणी का अंकन करवा दिया और उन सभी समन पर मोहनलाल व रामलाल नाम के व्यक्ति के दस्तखत करवा दिये तत्पश्चात् उक्त सभी समन पर अदम तामील रिपोर्ट श्रीमानजी की सेवा में पेश है अंकित कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिये और इन अदम तामील आये समन के आधार पर हमारी तामील मानकर माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में हमारे खिलाफ एकतरफा कार्यवाही कर दी गई। जबकि न तो उक्त समन की सूचना हमें प्राप्त हुई, न ही हमारे मकान पर चस्पा किये थे एवं मोहनलाल व रामलाल नामक व्यक्ति भी हमारे यहां के नही है। पत्रावली के मुताबिक प्रथम बार समन भेजे गये थे और समन मकान पर चस्पा का कोई आदेश नही हुआ था फिर भी तामील कुनिन्दा द्वारा इन समनो को मकान पर चस्पा करने का अंकन समन पर गलत तरीके से कर दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि तामील कुनिन्दा ने पूरी कार्यवाही वादी के प्रभाव में आकर मनमाने ढंग से फर्जी तरीके से सम्पन्न की थी। हम प्रतिवादीगण गरीब होकर किसान वर्ग के व्यक्ति हैं और ग्रामीण परिवेश में रहने वाले हैं और कृषि ही हमारी आजीविका का एकमात्र साधन है किन्तु इस मामले की जानकारी हमको नही मिलने से उक्त प्रकरण में नियत पेशी पर माननीय न्यायालय आपमें हम प्रतिवादीगण हाजिर नही हो सके।

3 यह कि उक्त प्रकरण में वर्णित विवादित जायदाद में हमारे भी जायज हक व अधिकार निहित है। अगर हमें इस प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया

जावेगा तो हम प्रतिवादीगण अपने हितो की रक्षा नही कर सकेगें और हम प्रतिवादीगण अपने जायज हक व अधिकारो से सदैव के लिये महरूम हो जायेगें। उक्त प्रकरण में पारित एक तरफा निर्णय व डिक्री में कार्यवाही दोतरफा कराना जरूरी है। यदि कार्यवाही दोतरफा नहीं की गई तो हम प्रतिवादीगण हमारे जायज हक व अधिकारों से तथा न्याय से वंचित हो जायेगें।

4 अंत में निवेदन किया की प्रार्थीगण / प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी स्वीकार फरमाया जाकर उक्त प्रकरण मे प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के विरूद्ध की गई एकतरफा कार्यवाही दिनांक 16–09–2022 को दोतरफा कर एकतरफा पारित निर्णय दिनांक 22–09–2022 को अपास्त फरमाया जाने का आदेश प्रदान करावें।

5 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की हमने जानबुझ कर माननीय न्यायालय में पेशी पर अनुपस्थित रहने की गलती नही की है। अनुपस्थित का पर्याप्त कारण है। क्योंकि हमें उक्त मामले की पूर्व में कोई जानकारी नही थी। जब उक्त मामले की जानकारी हुई तो हम तुरन्त मावली आये और यहां आकर अपनी और से अधिवक्ता नियुक्त कर उक्त इस प्रकरण के मामले में जानकारी कराकर इसकी प्रमाणित प्रति हेतु दिनांक 30.09.2024 को न्यायालय में आवेदन करवाया जिस पर दिनांक 01.10. 2024 को उक्त पत्रावली की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई जिसे देखने पर उक्त मामले में इस प्रकार के तथ्यों की जानकारी हुई है। इससे पूर्व हमें इन तथ्यों की किसी प्रकार से कोई जानकारी नही थी। प्रकरण में विवादित जायदाद मे हमारे हक अधिकार निहित है और यदि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी के बिन्दू पर हमारे विरूद्ध पारित एकतरफा कार्यवाही (निर्णय व डिक्री) के आदेश को अपास्त नही किया जायेगा तो हमारे हितो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और हम अपने जायज अधिकारो से सदैव के लिये वंचित हो जायेगें। हमें उक्त मामले की जानकारी होते ही एक पक्षीय निर्णय डिक्री व डिक्री को अपास्त कराने हेतु अविलम्ब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है। अंत में निवेदन किया की प्रार्थीगण / प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त प्रकरण में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन फरमाये जाने का आदेश बक्षाया जावें।

6 प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर कार्यवाही प्रारम्भ की गई। विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुझ विपक्षी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय में दिनांक 02/08/2022 को प्रस्तुत किया था। जिसमें प्रतिवादीगण को न्यायालय में उपस्थित होने के लिये जरिये समन दिनाक 23/08/2022 को तलब किया। जिसकी प्रतिवादीगणो की, सम्यक तामिल हुई जिसका उल्लेख न्यायालय आदेशिका में स्पष्ट रूप से अंकित है कि प्रतिवादी सख्या 01 से 06 के समन बाद तामिल प्राप्त हुए प्रतिवादी बावजुद सुचना के अनुपस्थित

पत्रावली दिनाक 16/09/2022 को उचित आदेश में नियत की गई। तत्पश्चात 16/09/2022 को प्रतिवादीगणो को न्यायालय द्वारा आवाज दिलवाई गई जिस पर प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित नही होने पर इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये। प्रार्थीगण द्वारा उक्त कलम में गलत तथ्यो का समावेश कर रखा है। जो स्वयं न्यायालय प्रक्रिया को आक्षेपित करता है। विपक्षी उक्त भुमि का अकेला खातेदार काश्तकार होकर उक्त कृषि भुमि सम्पुर्ण रूप से उसके उपयोग उपभोग में है। प्रार्थी द्वारा कब्जा हटा लेने वाली बात सर्वथा मिथ्या है। कब्जा मुझ विपक्षी का ही अनवरत रूप से उक्त भुमि पर चला आ रहा है। इसलिए मुझ विपक्षी ने इन प्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 188 का वाद प्रस्तुत किया था। क्योकि प्रार्थी मुझ विपक्षी की खातेदारी भुमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर कब्जा करने की मन्शा रखते है। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण की जानकारी न्यायालय से प्रतिलिपि प्राप्त करने से बता रहे है जो सर्वथा गलत है। प्रकरण की जानकारी प्रार्थीगण को पुर्व में न्यायालय द्वारा जारी समन से हो चुकी थी। परन्तु जानबुझ कर प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रकरण में उपस्थिति नही दी। अब न्यायालय से डिक्री होने उपरान्त उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो केवल मात्र मुझ प्रार्थी को परेशान करने की गरज से किया है। न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में विधिवत समन जारी किये गये। जिस पर तामिल कुलिन्दा तामिल कराने हेतु प्रार्थीगण के समक्ष उपस्थित हुआ जिस पर प्रार्थीगण ने लेने से इन्कार किया। जिसकी टिप्पणी तामिल कुलिन्दा ने समन पर की है। जिस पर दो मोतबिरानो के हस्ताक्षर भी है। उक्त तामिल को न्यायालय ने विधिवत मानते हुए प्रार्थीगण के विरूद्ध अनुपस्थित रहने पर एक तरफा कार्यवाही की व मुझ विपक्षी को गुणावगुण के आधार पर सुनकर डिक्री पारित की गई। जिसको 2 वर्ष से भी अधिक का समय बित चुका है। प्रार्थीगण ना तो इस भुमि के खातेदार है ना ही इनका कोई हक एवं अधिकार मुझ विपक्षी की जमीन में है। इस प्रकार इन प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये दो तरफा के प्रार्थना पत्र का कोई ओचित्य नही है। प्रार्थीगण द्वारा समन की तामिल को गलत रूप से बताना एवं वादी के प्रभाव में आकर फर्जी तामिल सम्पन्न कराना अपने आप में न्यायालय पर बहुत बडा आक्षेप है। प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय को दोषी माना है जो सर्वथा गलत है। अंत में निवेदन किया की प्रार्थना पत्र केवल मात्र प्रकरण में विपक्षी को उलझाये रखने की मन्शा से प्रस्तुत किया है जिसमें समस्त कथन मिथ्या होने से सव्यय खारिज किया जावेगा।

7 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम के तथ्यो को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थीगण को उक्त प्रकरण की भली भांति जानकारी थी व प्रार्थीगण ने न्यायालय द्वारा भेजे गये समन को जानबुझ कर लेने से इन्कार किया एवं न्यायालय में उपस्थित नही होकर न्यायालय आदेश की अवहेलना की है। जबकि न्यायालय द्वारा भेजे गये समन की सम्यक तामिल तामिल कुनिन्दा द्वारा स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थीगणो को लेने हेतु कहा परन्तु प्रार्थीगण ने तामिल लेने से इन्कार किया। जिस पर न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के

विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर डिक्री पारित की गई। जिसको दो वर्ष से अधिक का समय हो चुका है केवल मात्र विपक्षी को नाजायज रूप से परेशान करने के लिये उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण के द्वारा वर्णित समस्त कथन कपोल कल्पित होकर मिथ्या एवं त्रुटीपूर्ण होने से अस्वीकार है। अंत में निवेदन किया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो पर आधारित होने से धारा 05 परिसीमा अधिनियम में छुट का कोई आधार नही है। इसलिये छुट नही दी जाकर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

8 प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया कि पक्षकार ग्रामीण परिवेश के होने से इन्हे कानून की जानकारी नही थी। प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को साबित कराने में सफल रहे। अंत में निवेदन किया की प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर एकपक्षीय डिक्री को अपास्त किया जावे। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दौहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को साबित कराने में असफल रहे। अंत में निवेदन किया की प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

9 हमने उपस्थित उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर चिन्तन व मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जहॉ तक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब की अवधि का प्रश्न है तो न्यायालय में निर्णय एवं डिक्री एकपक्षीय जारी की गई थी। ऐसे में निर्णय एवं डिक्री का ज्ञान प्रार्थीगण को नही था। न्यायालय का यह भी मानना है कि प्रार्थीगण को अपने अधिकारो के प्रति सजग रहना चाहिए था। वैसे भी विलम्ब को क्षमा किये जाने बाबत् न्यायालय को लचीला दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। जिससे की प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित किया जा सके एवं कोई भी हितबद्ध पक्षकार देरी से आने के कारण न्याय से वंचित नही हो सके। इस कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुती में हुऐ विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाकर एवं देरी की अवधि को कन्डोन किया जाता हैं।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा.दी. पर व्याख्या से पूर्व सर्वप्रथम सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–09 नियम–13 के प्रावधानो का प्रकरण मे अवलोकन किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–09 नियम–13 के प्रावधान का उद्धरण इस प्रकार हैः–

13. प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करना–– किसी ऐसे मामले में जिसमें डिक्री किसी प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय पारित की गई है, वह प्रतिवादी उसे अपास्त करने के आदेश के लिए आवदेन उस न्यायालय में कर सकेगा जिसके द्वारा वह डिक्री पारित की गई थी और यदि वह न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि समन की तामील सम्यक् रूप से नहीं की गई थी या वह वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात होने से किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा था तो खर्चों के बारे में, न्यायालय में जमा करने के या

अन्यथा ऐसे निबन्धनों पर जो वह ठीक समझे, न्यायालय यह आदेश करेगा कि जहाँ तक डिक्री उस प्रतिवादी के विरुद्ध है वहाँ तक वह अपास्त कर दी जाए, और वाद में आगे कार्यवाही करने के लिए दिन नियत करेगा :

परन्तु जहाँ डिक्री ऐसी है कि केवल ऐसे प्रतिवादी के विरुद्ध अपास्त नहीं की जा सकती वहाँ वह अन्य सभी प्रतिवादियों या उनमें से किसी या किन्हीं के विरुद्ध भी अपास्त की जा सकेगी :

[परन्तु यह और कि यदि किसी न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी को सुनवाई की तारीख की सूचना थी और उपसंजात होने के लिए और वादी के दावे का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय था तो वह एकपक्षीय पारित डिक्री को केवल इस आधार पर अपास्त नहीं करेगा कि समन की तामील में अनियमितता हुई थी।] 1976 के अधिनियम संख्या 104 की धारा 59 द्वारा 01.02.1977 से जोड़ा गया।

[स्पष्टीकरण —— जहाँ इस नियम के अधीन एकपक्षीय पारित डिक्री के विरुद्ध अपील की गई है और अपील का निपटारा इस आधार पर से भिन्न किसी आधार पर कर दिया गया है कि अपीलार्थी ने अपील वापस ले ली है वहाँ उस एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए इस नियम के अधीन कोई आवेदन नहीं होगा ।] 1976 के अधिनियम संख्या 104 की धारा 59 द्वारा 01.02.1977 से जोड़ा गया।

इस प्रकरण में विपक्षी प्रेमशंकर द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण की और से अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दी गई। अधिवक्ता एवं स्वयं प्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने से प्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 16.09.2022 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। आगामी पेशी दिनांक 22.09.2024 को साक्ष्यवादी का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात निर्णय पारित किया गया। प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण को कानून की जानकारी नही है। प्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई सूचना न्यायालय से नही प्राप्त हुई। मूल पत्रावली में संलग्न नोटिस का अवलोकन करने से जाहीर आया की तामील करवाने वाले कर्मचारी की रिपोर्ट है प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय द्वारा प्रेषित नोटिस लेने से इंकार किया जिसके कारण नोटिस की एकपरत चस्पा की गई। अर्थात प्रार्थीगण द्वारा नोटीस नही लिए गए। परन्तु यहां यह प्रश्न विचारणीय है कि तामील करवाने वाले कर्मचारी द्वारा किस आदेश से नोटिस की एक परत चस्पा की गई। क्योंकि प्रतिवादीगण के नोटिस चस्पा करने का कोई आदेश पत्रावली में नही है।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण का कथन है कि वादग्रस्त भूमि पर उनका कब्जा है। प्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। हमारे मत में पक्षकार ग्रामीण परिवेश के होने से कानून की जानकारी नही होती है। जिसके कारण न्यायालय में उपस्थित नही होते है। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि पर

प्रार्थीगण अपना कब्जा बता रहे है। कब्जे संबंधी बिन्दु को मूल वाद में तनकी बनाकर साक्ष्य सबूत के आधार पर ही तय किया जा सकता है। इसलिए यदि प्रकरण में जारी एक पक्षीय निर्णय डिक्री को निरस्त कर प्रकरण में जवाब दावा लेकर तनकी कायम कर पक्षकारो के बयान लिये जाकर प्रकरण में साक्ष्य सबूतो के आधार पर तनकीवार निर्णय गुणावगुण के आधार पर पारित किया जाता है तो किसी भी पक्षकार को अपूरणीय क्षति भी नहीं होगी। पक्षकारों के हक व अधिकारों पर कोई कुठाराघात भी नहीं होगा । इसलिये प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किये जाने को हम न्यायहित में आवश्यक मानते है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी स्वीकार योग्य पाये जाते है।

अतः परिणास्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी का स्वीकार किया जाकर प्रकरण संख्या 125/22 वाद उनवान प्रेमशंकर बनाम चेनराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.09.2022 को अपास्त किया जाता है तथा मूल वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाकर प्रकरण में प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। पक्षकारान को जरिये अधिवक्ता सूचित किया जाता है कि न्यायालय हाजा में दिनांक 11.06.2026 को मूल वाद में उपस्थित रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली